कार्यालय कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ0ग0)

सीमित निविदा (तृतीय)–सूचना

क्रमांक /371 /वित्त–4/2021 बिलासपुर, दिनांक 21/01/2021

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि जिला कार्यालय बिलासपुर अंतर्गत शासकीय वाहन का नीलामी की कार्यवाही खुली बोली के माध्यम से दिनांक **08.02.2021 दिन सोमवार को 3.00 बजे** जिला कार्यालय परिसर में नीलाम किया जाना है ।

वाहन का विवरण एवं नीलामी की शर्ते निम्नानुसार है :–

क्र.	कार्यालय का नाम, जहां वाहन है	पंजीयन क्रमांक	वाहन का प्रकार	माडल वर्ष	आफसेट मूल्य	चलित दूरी
1	कले.कार्या. बिलासपुर	सी.जी.02/8770	टाटा सफारी	2006	90000	176039

नीलामी शर्तेः–

1. जिला कार्यालय परिसर स्थित वाहन अवलोकनार्थ रखी गई है, जिसका अवलोकन कार्यालयीन समय में किया जा सकता है ।
2. उक्त वाहन हेतु रूपये 5000.00 की अमानत राशि नगद/बैंक ड्राप्ट के माध्यम से नीलामी तिथि के एक दिन पूर्व जिला कर्यालय के नाजरात शाखा में जमा कराना होगा ।
3. जिस निविदाकर्ता द्वारा वाहन की कीमत सबसे अधिक बोली जावेगी, उसे वाहन के कीमत की आधी राशि तत्काल जमा करनी होगी तथा शेष राशि वाहन उठाने के पूर्व जमा करानी होगी ।
4. सफल निविदाकर्ता उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वाहन को जहां जैसी स्थिति में है, 03 दिवस के अंदर कार्यालय परिसर से वाहन उठाना अनिवार्य होगा। अन्यथा पूर्व में जमा की गई राशि राजसात कर ली जावेगी ।
5. वाहन की उचित कीमत प्राप्त नहीं होने पर उक्त बोली निरस्त कर दी जावेगी तथा पुनः निविदा बुलाई जावेगी।
6. निविदा में दी गई शर्तो के उल्लंघन करते पाये जाने पर जमा की गई अमानत राशि राजसात की जा सकेगी। अन्य परिस्थितियों में अमानत राशि नीलामी की कार्यवाही पूरी होने के बाद ही वापस की जा सकेगी।
7. शासन द्वारा नियमानुसार राशि पर 01 प्रतिशत TCS शुल्क अलग से चालान/बैंकर्स चेक/बैंक ड्राप्ट द्वारा देय होगा।
8. विवाद की स्थिति में कलेक्टर बिलासपुर का निर्णय सर्वोपरि होगा।

अतिरिक्त कलेक्टर,
बिलासपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

पृष्टांकन क्र./ 371A /वित्त–4/2021 बिलासपुर दिनांक 22/01/2021
प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तहसगढ़ शासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, जन सम्पर्क, छ.ग. रायपुर को प्रकाशन हेतु सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. आयुक्त, नगरपालिक निगम बिलासपुर को सूचनार्थ।
6. उप संचालक, जन सम्पर्क, जिला बिलासपुर को दो स्थानीय समाचार पत्रों एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तथा प्रति इस कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित हेतु।
7. प्रभारी अधिकारी (नाजरात शाखा) जिला कार्यालय बिलासपुर की ओर नोटिस बोर्ड में चस्पा करने तथा नीलामी कार्यवाही हेतु आवश्यक व्यवस्था हेतु ।

अतिरिक्त कलेक्टर,
बिलासपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner